

# दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण

(Protection in respect of Conviction)

अनुच्छेद-20 / Article -20

1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण [ अनु. 20 (1) ]

(Protection From Ex-post Facto Law)

2. दोहरे दण्ड से संरक्षण [ अनु. 20 (2) ] → ex. (A) ⇒ Murder

(Protection From Double Jeopardy)

3. आत्म अभिशंसन से संरक्षण [ अनु. 20 (3) ]

(Protection From Self-in-Crimination)

Criminal  
अपराधी

==

==

ex. (A) ⇒ Murder  
फत्या  
सोहन → A को सजा मिल गयी।

Act 2011 ⇒ (A) ⇒ अपराध (Crime) ⇒ 2011

→ Mandate ←

↓  
सजा (Penalty) ⇒ 20 years वर्षों

↓  
Judgement (निर्णय) ⇒ 2024

→ 2018 ⇒ सजा → 30 years

↓  
30 वर्ष

(A) ⇒ सजा (Penalty)

(a) ⇒ 20 वर्ष

(b) ⇒ 30 वर्ष

(a) 20 वर्ष

(b) 10 वर्ष

10 वर्ष

सजा ↑  
↳ जिस समय  
अपराध उभरे  
अनुसार सजा

सजा ↓  
↳ घटी हुई सजा के  
अनुसार सजा

X

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

(Protection of Life and Personal Liberty)

⇒ Art. 21 → जीवन जीने का अधिकार (Right to life)

- अनुच्छेद - 21 / Article -21
- शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। Right to education was declared a fundamental right under Article 21.
- 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा अनुच्छेद 21 - क के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया। The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 gave the right to education the status of a fundamental right under Article 21A.

- Ex. =>
- ① निःशुल्क खाद्य सामग्री (Free food items)
  - ② निःशुल्क चिकित्सा सहायता (Free Medical Help)
  - ③ जीवन साथी चुनने का अधिकार (Love Marriage)
  - ④ निजता का अधिकार (Right to Privacy)

⑤ शिक्षा का अधिकार => अनु. 21(A) => 86 वां CA 2002  
Right to education

↓  
6-14 वर्ष → बच्चे (children)  
↳ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा  
Free & compulsory education.

- अनुच्छेद 21-क, के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करेगा । According to Article 21-A, the State shall provide free and compulsory education for all children of the age of 6 to 14 years.



गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

(Protection against arrest and detention)

अनुच्छेद- 22, / Article -22

## गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकार Rights of persons arrested

1. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार । Right to know the reasons for arrest.
2. अपनी रुचि के विधि व्यवसायी (अधिवक्ता) से परामर्श एवं बचाव का अधिकार । Right to consult and defend a legal practitioner (advocate) of one's choice.
3. गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अन्दर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार । Right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest (excluding the time required for travel).
4. मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किये जाने का अधिकार । Right not to be detained in custody for more than 24 hours without the authority of the magistrate.



- (1) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
- (2) आधिवक्ता (Advocate) से परामर्श (Consult) का अधिकार
- (3) गिरफ्तारी से 24 घंटे के अन्दर 2 गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना।
- (4) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करेका नहीं रखा जा सकता।

## बलात् श्रम का प्रतिषेध (Prohibition of Forced Labour)

अनुच्छेद 23 (Article 23(1) ex.

(i) दासप्रथा / slavery

(ii) बेगार अथवा बलात्श्रम / forced labour

(iii) मनुष्यों का वस्तुओं की भाँति क्रय-विक्रय । / Buying and selling of human beings like commodities.

(iv) स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार / Immoral trafficking of women and children

(v) बंधुआ मजदूरी आदि। Bonded labour etc



अन्तःकरण आदि की स्वतंत्रता

(Freedom of Conscience etc)

अनुच्छेद 25 / Article -25

शिवरों को  
कृपाण रखने का  
आधिकार। //

धर्म (Religion)

(Accept Any Religion)

① किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।

② धर्म का प्रचार-प्रसार  
Propagation of Religion

③ आचरण (Practice)

## धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता

(Freedom to Manage religious affairs)

अनुच्छेद- 26 / Article- 26 ✓

④ → एक नाम

- यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गयी है । This freedom has been given not to individuals but to religious sects.

ex.

- 1) आर्य समाज
- 2) रामकृष्ण मिशन
- 3) RSS → राष्ट्रीय सेवा संघ etc.

स्वतंत्रता  
(Freedom)

⇒ धार्मिक संप्रदायों  
के लिए


From Religious Denominations

- ① लोगों का समूह  
Group of People
- ② एक धर्म (one Religion)
- ③ एक उद्देश्य (one objective)

धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति

(Freedom to Taxes for religious Promotion)

अनुच्छेद-27 / Article - 27



शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता

(Freedom in Educational Institutions)

अनुच्छेद-28 का खण्ड ( 1 ) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिये जाने का निषेध करता है।

Clause (1) of Article 28 prohibits the imparting of religious education in educational institutions wholly maintained out of State funds.

अ. 28 → शिक्षण संस्थान → सरकार का पैसा  
educational institution लगा है।

⇒ धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते।

## अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(Protection of Interests of minorities)


अनुच्छेद-29 / Article – 29

भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी विशेष भाषा (Language) लिपि (Script) या संस्कृति (Culture) है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। Every citizen of India who has his own distinct language, script or culture shall have the right to preserve it.

## शिक्षण संस्थाओं की स्थापना

### (Establishment of Educational Institution)

अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत शिक्षण संस्थायें स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है Article 30 gives the right to establish and administer educational institutions.



Art. 29 → अल्पसंख्यक  
(Minorities) ⇒ भाषा (language)  
⇒ लिपि (script)  
⇒ संस्कृति (culture) > सुरक्षित  
(Protect)

Art. 30 ⇒ अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं  
की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार।  
ex. ⇒ मदरसा

**संवैधानिक उपचारों का अधिकार**

**(Right to Constitutional Remedies)**

**अनुच्छेद 32**

**डा. भीम राव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा ( Heart and Soul ) कहा है।**

**Article 32**

**Dr. Bhim Rao Ambedkar called it the heart and soul of the Indian Constitution.**

पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा—

- (1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),
- (2) परमादेश (Mandamus ),
- (3) प्रतिषेध (Prohibition),
- (4) उत्प्रेषण (Certiorari) तथा
- (5) अधिकार पृच्छा (Quo warranto)